File No.1-10002(002)/5/2024- -10-

संख्या-333/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांकः 26/02/2024**

विषय- प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर 01-01 मल्टीडिजास्टर रिस्पांस व्हीकल के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से रू0 36.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या-4963/रा0आ0का0/2023-24 दिनांक 15.12.2023, जिसके द्वारा आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया व राहत एवं बचाव कार्य हेतु मण्डल स्तर पर मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग से प्रस्ताव प्राप्त कर (लागत रू0 4.00 करोड प्रति के अनुसार) रू0 72.00 करोड की धनराशि के बजट आवंटन का अनुरोध किया गया है तथा प्रकरण में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वित्त पोषित किये जाने हेतु अप्रेजल कमेटी की बैठक दिनांक 15.12.2023 में की गयी संस्तुति एवं दिनांक 08.02.2024 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में दी गयी स्वीकृति के क्रम में अपने पत्र संख्या-एफ0एस0(टी0)-231-2022 दिनांक 14.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर 01-01 मल्टीडिजास्टर रिस्पांस व्हीकल के क्रय, संचालन एवं रख-रखाव हेतु अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग को नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 08.02.2024 को सम्पन्न बैठक में प्रदेश 18 मण्डलों में 01-01 मल्टीडिजास्टर रिस्पांस व्हीकल हेतु (लागत रू0 4.00 करोड प्रति के अनुसार) रू0 72.00 करोड की धनराशि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में उक्त कार्य हेतु रू0 72.00 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 36.00 करोड की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखने की

श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध

(1) अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाले कार्य राहत आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(5) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(9) उक्त 18 मण्डलों में क्रय किये जाने वाले मल्टी डिजास्टर रिस्पान्स व्हीकल का संचालन एवं रख-रखाव उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग द्वारा किया जायेगा।

(10) उक्त 18 मण्डलों में क्रय किये जाने वाले मल्टी डिजास्टर रिस्पान्स व्हीकल का उपयोग आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया तथा राहत एवं बचाव कार्य हेतु किया जायेगा और इस सम्बन्ध में राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित राज्य स्तरीय इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर एवं राहत आयुक्त से समन्वय करते हुए अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग द्वारा सम्बन्धित मण्डलों के जिलों में होने वाली आपदाओं के समय इन व्हीकलों के साथ तत्पर कार्यवाही हेतु उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रू0 36.00 करोड़ को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Digitally Signed by राम केवल
Date: 26-02-2024 10:39:52
Reason: Approved
(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्याः- 333 (1)/एक-10-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।

2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग को उक्त 18 मण्डलों के लिए मल्टी डिजास्टर व्हीकल के सम्बन्ध में उक्त स्वीकृत रू0 36.00 करोड की धनराशि के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए क्रय कर संचालन आदि कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ ।

4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2

10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-29/02/2024

प्रेषण संख्या:- 333
आवंटन आदेश संख्या:- 001-333
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2530-अपर पुलिस महानिदेशक - फायर सर्विस , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	360000000 1207500000	360000000 1207500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	360000000 1207500000	360000000 1207500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छत्तीस करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब बीस करोड़ पचहत्तर लाख

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन